5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

विलोपित

समक्ष : माननी राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

(35)

पुर्नविलोकन /2018 पुनर्विलोकन- 5436/2018/राजगढ/भू.रा.

रामस्वरूप पुत्र किशनलाल महाजन निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ म. प्र0 ।

............आवेदक

श्री अनिल सिंह ... द्वारा आज दि0 4-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. सुरेश दांगी पुत्र श्री हरि सिंह दांगी निवासी फतेहपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ म. प्र।
2. श्रीनाथ पुत्र गोकूल दांगी निवासी कुआखेडा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ म.प्र.।

....................अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 51 के तहत विरूद्ध राजस्व मण्डल म.प्र0. ग्वालियर के निगरानी क 1185/पीबीआर/2018 /राजगढ के पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.8.2018 मे पारित आदेश को पुर्नविलोकन किये जाने के विरूद्ध।

श्रीमान जी ,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि–

1. यहकि, अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर के प्रकरण क 17/बी/121/17–18 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिस निगरानी को अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का अतरिम आदेश एंव उसके वाद की कार्यवाही निरस्त करते हुये निगरानी को स्वीकार करने मे भूल की है।
2. यहकि, अनावेदकगण की निगरानी को महज इस आधार पर स्वीकार की गई कि अनावेदकगण द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई उस निगरानी मे दिनांक 9.3.2018 को स्थगन जारी हुआ परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनः आगे की कार्यवाही चालू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 5436/2018/राजगढ/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
12–10–18	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/राजगढ़/भूरा/2018/1185 में पारित आदेश दिनांक 21.8.18 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक **रिव्यु 5436/2018/राजगढ/भूरा** के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक के प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/राजगढ़/भूरा/2018/1185 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 21.8.18 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण **रिव्यु 5436/2018/राजगढ/भूरा** में	

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य